

**परिशिष्ट 1.1 भाग क**  
**(सन्दर्भ : कंडिका 1.1)**

झारखण्ड का परिचय						
क . सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क.	2011			3.33 करोड़	
	ख.	2021			3.85 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व <sup>2</sup> (2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 415 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			483 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) <sup>3</sup> (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.96 प्रतिशत	
5	साक्षरता <sup>4</sup> (अखिल भारतीय औसत = 73%)				71.80 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर <sup>5</sup> 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 30 प्रति 1000 जीवित जन्म)				27	
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा <sup>6</sup> (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.4 वर्ष)				69.10 वर्ष	
7	मानव विकास सूचकांक <sup>7</sup>					
	क.	2018 (अखिल भारतीय = 0.642)			उपलब्ध नहीं	
	ख.	2019 (अखिल भारतीय = 0.645)			उपलब्ध नहीं	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2020-21 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				3,17,079 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)				झारखण्ड	6.94 प्रतिशत
					अखिल भारतीय	8.21 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21) <sup>8</sup>				झारखण्ड	8.60 प्रतिशत
					अखिल भारतीय	9.48 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)				झारखण्ड	16.35 प्रतिशत
					अखिल भारतीय	12.30 प्रतिशत
ख. वित्तीय आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)				
		वृद्धि		2019-20 से 2020-21		
		2018-19 से	2019-20	सामान्य राज्य	झारखण्ड	
1	क. राजस्व प्राप्तियों का	2.08	4.03	-4.56	-3.88	
2	ख. स्वयं कर राजस्व का	2.12	13.69	-4.43	0.65	
3	ग. गैर कर राजस्व का	23.38	5.96	-35.60	-13.55	
4	घ. कुल व्यय का	4.16	5.85	4.54	6.92	
5	ड. पूँजीगत व्यय का	-5.55	-17.65	-2.36	17.93	
6	च. पूँजी परिव्यय	-4.76	-7.78	-2.84	-14.31	
7	छ. ऋण एवं अग्रिम संवितरण	-12.69	-88.86	2.31	1943.16	
8	ज. शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.97	24.40	-1.32	3.33	
9	झ. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	8.27	-10.64	14.65	24.84	
10	ञ. वेतन एवं मजदूरी का	9.07	5.72	2.27	0.41	
11	ट. पेंशन का	10.46	0.23	6.02	13.19	

<sup>1</sup> सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

<sup>2</sup> भारत की जनगणना 2011 (जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036)

<sup>3</sup> झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19 (खंड II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

<sup>4</sup> झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 191

<sup>5</sup> झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 222

<sup>6</sup> 2011 की जनगणना की एस.आर.एस. आधारित संछिप्त जीवन तालिका 2014-18 की विवरणी 3

<sup>7</sup> यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2019 पृष्ठ 302 एवं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पृष्ठ 243

<sup>8</sup> सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय

**परिशिष्ट 1.1 भाग ख**  
**सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा**  
**(सन्दर्भ : कंडिका 1.4)**

<b>सरकारी लेखाओं की संरचना:</b> राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
<b>भाग I : संचित निधि:</b> राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
<b>भाग- II : आकस्मिकता निधि:-</b> संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्पेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
<b>भाग- III : लोक लेखा:</b> कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
<b>भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास</b>	
<b>विवरणी</b>	<b>अभिन्यास</b>
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणों समूह के अनुसार) जैसा विवरण -1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संचित निधि को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षा द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह लघु शीर्षावार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2020-21 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्योरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षावार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2021 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, हकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्योरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के ल ए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**परिशिष्ट 2.1**  
**वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.2)**

( करोड़ में)

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
2019-20		2020-21	2019-20		2020-21				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केन्द्र योजना	कुल		
58417.14	I. राजस्व प्राप्तियाँ	56149.73	56456.63	I. राजस्व व्यय	30893.46	28370.13	59263.59	59263.59	
16771.45	कर राजस्व	16880.08	18713.86	सामान्य सेवाएँ	19718.79	183.88	19902.67		
			21447.88	सामाजिक सेवाएँ	7308.16	16038.91	23347.07		
8749.98	कर-भिन्न राजस्व	7564.01	9746.99	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	5463.39	4588.61	10052.00		
			2790.80	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1149.83	2333.82	3483.65		
20593.04	संघीय करों में राज्य के हिस्से	19712.23	3185.19	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	333.61	3401.7	3735.31		
3154.6	वित्त आयोग अनुदान	2990.5	194.73	सूचना एवं प्रसारण	97.17	34.75	131.92		
1809.01	राज्य को अन्य अनुदान	2164.06	1205.4	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	115.71	796.08	911.79		
7339.06	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6838.85	124.73	श्रम एवं श्रम कल्याण	76.44	145.57	222.01		
			4168.64	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	40.13	4738.38	4778.51		
			31.4	अन्य	31.88	0	31.88		
			16293.67	आर्थिक सेवाएँ	3866.51	12147.34	16013.85		
			3005.6	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	608.86	1475.51	2084.37		
			7872.78	ग्रामीण विकास	493.06	7745.25	8238.31		
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			0.00		
			385.64	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	364.64	1.89	366.53		
			2999.93	उर्जा	1020.9	1001.57	2022.47		
			323.82	उद्योग एवं खनिज	59.01	186.77	245.78		
			414.56	परिवहन	413.46	335.92	749.38		
			0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0.00		
			1291.34	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	906.58	1400.43	2307.01		
			1.22	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0		
			56456.63	कुल	30893.46	28370.13	59263.59		
0.00	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	3113.86	1960.51	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				0.00	
58417.14	कुल	59263.59	58417.14	कुल				59263.59	
भाग- ख									
795.39	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	3463.48	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0	
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	9878.71	IV. पूँजीगत परिव्यय	64.64	8401.02	8465.66	8465.66	
			1239.17	सामान्य सेवाएँ	64.64	706.28	770.92		
			1430.31	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1491.46	1491.46		

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
				258.13	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.00	94.87	94.87	
				347.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	586.13	586.13	
				631.57	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.00	480.34	480.34	
				8.81	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0	0.00	
				165.36	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	269.28	269.28	
				0.86	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	5.29	5.29	
				17.89	अन्य	0.00	55.55	55.55	
				<b>7209.23</b>	<b>आर्थिक सेवाएँ</b>	<b>0.00</b>	<b>6203.28</b>	<b>6203.28</b>	
				153.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	75.78	75.78	
				1991.11	ग्रामीण विकास	0.00	1283.49	1283.49	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0	0.00	
				1328.78	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1046.31	1046.31	
				0.00	ऊर्जा	0.00	626	626.00	
				4.00	उद्योग और खनिज	0.00	7.76	7.76	
				3686.95	परिवहन	0.00	3120.33	3120.33	
				44.54	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	43.61	43.61	
<b>49.19</b>	<b>V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली</b>		<b>48.78</b>	<b>165.43</b>	<b>V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>32.11</b>	<b>3347.66</b>	<b>3379.77</b>	<b>3379.77</b>
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		89.32	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	4.74	3347.66	3352.4	
48.77	सरकारी सेवकों से	48.54		52.52	सरकारी सेवकों को	4.46	0	4.46	
0.42	अन्य से	0.24		23.59	अन्य को	22.91	0.00	22.91	
<b>1960.51</b>	<b>VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य</b>				<b>VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा</b>				<b>3113.86</b>
<b>9593.12</b>	<b>VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>		<b>13546.58</b>	<b>4231.40</b>	<b>VII. लोक ऋण की वापसी</b>			<b>2744.82</b>	<b>2744.82</b>
0.00	वाह्य ऋण	0.00		0.00	वाह्य ऋण			0.00	
9167.14	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	10958.31		4057.86	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			2546.88	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00	
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00	
425.98	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2588.27		173.54	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णभुगतान			197.94	
<b>0.00</b>	<b>VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग</b>		<b>0.00</b>		<b>VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग</b>				<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>IX. आकस्मिकता</b>		<b>0.00</b>		<b>IX. आकस्मिकता</b>				<b>0.00</b>

वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार								
प्राप्तियाँ				संवितरण				
	निधि को अंतरित राशि				निधि से व्यय			
33242.77	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		28511.48	27901.96	X. लोक लेखा संवितरण		24145.89	24145.89
1175.37	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1179.21		1169.63	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1201.67	
4379.02	रक्षित निधि	1377.12		361.09	रक्षित निधि		604.75	
	कर्णकित निधियों में निवेश	303.87						
259.6	उचंत एवं विविध	863.42		162.90	उचंत एवं विविध		809.95	
11106.53	प्रेषण	8118.09		11123.50	प्रेषण		8073.94	
16322.25	जमा एवं अग्रिम	16669.77		15084.84	जमा एवं अग्रिम		13455.58	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन		0	
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	3463.48	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		3720.32	3720.32
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00	
				-54.14	रिजर्व बैंक में जमा		160.55	
				47	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		44.70	
				400	चिन्हित निधि का निवेश		703.87	
				3070.62	रोकड़ शेष का निवेश		2811.20	
104058.12	कुल		104833.91	104058.12	कुल			104833.91

**परिशिष्ट 2.2**  
**राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 व 2.4)**

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>भाग - क. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>47054</b>	<b>52756</b>	<b>56152</b>	<b>58417</b>	<b>56150</b>
<b>(i) कर राजस्व</b>	<b>13299</b>	<b>12353</b>	<b>14752</b>	<b>16771</b>	<b>16880</b>
वस्तु एवं सेवा कर	-	4124	8201	8418	7931
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10549	5715	3475	3996	4301
राज्य उत्पाद	962	841	1083	2009	1821
वाहनों पर कर	682	779	864	1129	976
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	607	469	451	560	708
भू-राजस्व	240	156	389	338	873
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	259	270	289	321	270
<b>(ii) कर भिन्न राजस्व</b>	<b>5351</b>	<b>7847</b>	<b>8258</b>	<b>8750</b>	<b>7564</b>
<b>(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश</b>	<b>19142</b>	<b>21144</b>	<b>23906</b>	<b>20593</b>	<b>19712</b>
<b>(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>	<b>9262</b>	<b>11412</b>	<b>9236</b>	<b>12303</b>	<b>11993</b>
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>47093</b>	<b>52824</b>	<b>56199</b>	<b>58466</b>	<b>56199</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>7081</b>	<b>8137</b>	<b>7803</b>	<b>9593</b>	<b>13546</b>
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6847	7905	7531	9167	10958
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	234	232	273	426	2588
<b>6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>54174</b>	<b>60960</b>	<b>64002</b>	<b>68059</b>	<b>69745</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>22052</b>	<b>25410</b>	<b>33243</b>	<b>33243</b>	<b>28511</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>76226</b>	<b>86370</b>	<b>97245</b>	<b>101302</b>	<b>98256</b>
<b>भाग - ख. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>45089</b>	<b>50952</b>	<b>50631</b>	<b>56457</b>	<b>59264</b>
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	22194	22999	23983	27627	28370
गैर योजना/स्थापना	22895	27953	26648	23942	30894
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	13024	16558	17656	18714	19903
सामाजिक सेवाएँ	18557	19575	18786	21448	23347
आर्थिक सेवाएँ	13508	14819	14189	16294	16014
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	1	0
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>10861</b>	<b>11953</b>	<b>10712</b>	<b>9879</b>	<b>8466</b>
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	10814	11884	10669	9832	8401
गैर योजना/स्थापना	47	69	42	47	65
सामान्य सेवाएँ	590	807	791	1239	771
सामाजिक सेवाएँ	1532	1528	1616	1431	1492
आर्थिक सेवाएँ	8739	9618	8305	7209	6203
<b>12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण</b>	<b>1335</b>	<b>1852</b>	<b>1485</b>	<b>165</b>	<b>3380</b>
<b>13. कुल व्यय(10+11+12)</b>	<b>57285</b>	<b>64756</b>	<b>62828</b>	<b>66501</b>	<b>71110</b>
<b>14. लोक ऋण पुनर्भुगतान</b>	<b>2078</b>	<b>2950</b>	<b>3060</b>	<b>4231</b>	<b>2745</b>
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1920	2788	2893	4058	2547
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	158	161	167	173	198
<b>15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>59363</b>	<b>67706</b>	<b>65888</b>	<b>70732</b>	<b>73854</b>
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	16820	23279	27902	27903	24146
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	<b>76183</b>	<b>90985</b>	<b>93790</b>	<b>98635</b>	<b>98000</b>
<b>भाग - ग. घाटे</b>					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	1965	1804	5521	1960	-3114
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+)(4-13)	-10192	-11933	-6629	-8035	-14911
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)(21-23)	-6020	-7271	-1777	-2727	-9120
<b>भाग-घ. अन्य आँकड़े</b>					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्ति -प्राथमिक राजस्व व्यय)	6176	6534	10420	15352	2725
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4172	4662	4852	5308	5790
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	20332	20714	17976	19191	20078
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	3	7	68	16	0
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	3	7	58	16	0
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	10	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0.21	6.23	3.95	0.00
27 (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	236250	269816	297204	328598	317079
27 (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	193174	210587	224986	240036	227082
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	66827	77095	83783	94407	109185
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	157	607	607	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	157	450	450	607
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या ( एक करोड़ तथा उससे अधिक)	280	113	410	378	374
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	4778	1403	3818	3828	4669
<b>भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.63	4.58	4.96	5.10	5.32
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.88	5.87	6.56	6.99	7.43
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.26	2.91	2.78	2.66	2.39
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.77	3.73	3.67	3.65	3.33
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	8.10	7.84	8.04	6.27	6.22
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.79	5.42	4.10	5.13	5.28
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	24.25	24.00	21.14	20.24	22.43
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	29.65	30.75	27.93	27.70	31.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.7	122.75	111.89	113.84	126.64
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.7	78.68	80.59	84.90	83.34
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (क्र. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.2	32.64	32.47	34.44	34.96
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (क्र. व अ. सहित)/कुल व्यय	41.0	40.46	35.84	35.48	35.96
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	19.0	18.46	17.05	14.86	11.91
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.9	17.21	15.79	12.99	10.82
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.83	0.67	1.86	0.60	-0.98
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.02	0.86	2.45	0.82	-1.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.31	-4.42	-2.23	-2.45	-4.70
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.28	-5.67	-2.95	-3.35	-6.57
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.55	-2.69	-0.60	-0.83	-2.88
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.12	-3.45	-0.79	-1.14	-4.02

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-19.3	-15.12	-83.28	-24.39	20.88
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.61	2.42	3.51	4.67	0.86
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.20	3.10	4.63	6.40	1.20
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	28.29	28.57	28.19	28.73	34.43
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	34.59	36.61	37.24	39.33	48.08
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	142	146	149	162	194
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-2083.16	-2438.75	3622.45	-3796.98	-16110.23
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	*	शून्य	15
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	111	111	118	118	112
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	47	32	23	24	23
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1236	1764	1462	89	3352
परिसंपत्तियाँ	67419	77635	95080	95080	123935
दायित्व	74522	86542	111869	111869	110260

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

\* ` 15,000 मात्र



**परिशिष्ट 2.3**  
**31 मार्च 2021 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)**

( करोड़ में)

31.03.2020 को	दायित्व	31.03.2021 को
<b>63545.46</b>	<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>71956.90</b>
42766.70	ब्याज वाले बाजार ऋण	51666.74
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
13216.75	अन्य संस्थाओं से ऋण	13497.64
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
7556.38	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6786.89
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
<b>2591.52</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>4981.85</b>
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
14.02	गैर योजना ऋण	12.27
2577.5	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	4969.58
<b>500</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>500</b>
<b>1216.86</b>	<b>लघु बचत भविष्य निधि</b>	<b>1194.40</b>
<b>21104.74</b>	<b>जमा</b>	<b>24331.45</b>
<b>5948.02</b>	<b>रक्षित निधि</b>	<b>7024.26</b>
<b>82.3</b>	<b>अंतरण शेष</b>	<b>126.45</b>
<b>91.29</b>	<b>उच्चत एवं विविध शेष</b>	<b>144.75</b>
<b>16788.69</b>	<b>व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति</b>	<b>13674.83</b>
<b>111868.88</b>	<b>कुल</b>	<b>123934.89</b>
	<b>परिसम्पत्तियाँ</b>	
<b>87552.02</b>	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	<b>96017.68</b>
328.43	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	<b>992.13</b>
87223.59	अन्य पूँजीगत परिव्यय	<b>95025.55</b>
<b>0</b>	<b>अन्तर्राज्यीय समायोजन</b>	<b>0</b>
<b>20846.24</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>24177.23</b>
19946.61	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	23294.27
871.66	अन्य विकास ऋण	899.07
27.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-16.11
<b>7.14</b>	<b>अग्रिम</b>	<b>19.66</b>
<b>0</b>	<b>उच्चत एवं विविध शेष</b>	<b>0</b>
<b>3463.48</b>	<b>नकद</b>	<b>3720.32</b>
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
-54.14	रिजर्व बैंक में जमा	160.55
400	जमा निधि का निवेश	703.87
47	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	44.70
3070.62	नकद शेष निवेश	2811.2
<b>0.00</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>सरकारी लेखे में घाटा</b>	<b>0</b>
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
<b>111868.88</b>	<b>कुल</b>	<b>123934.89</b>

**परिशिष्ट 3.1**

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ` 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए  
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

( करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
----------	--------------------	--------------	------------------	---------------	-------------------------

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	1131	2069.46
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	248.45	15.02	201.5	61.97
3	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	54.85	4.03	41.14	17.74
4	10-उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	2873.12	1622.16
5	11- उत्पाद एवं मध निषेध विभाग	44.21	0.8	30.24	14.77
6	17- वाणिज्यकर विभाग	97.83	5.83	87.07	16.59
7	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1553.56	139.03	1365.71	326.88
8	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	875.1	134.48	725.8	283.78
9	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.1	3475.71	940.61
10	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.85	142.55	5270.05	823.35
11	23- उद्योग विभाग	303.6	4.86	212.34	96.12
12	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	428.83	125.07	237.59	316.31
13	27- विधि विभाग	518.86	13.18	345.51	186.53
14	32-विधान सभा	107.3	2.03	98.71	10.62
15	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.54	840.57	1552.54
16	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.12	912.5	1375.94	521.67
17	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	760.24	11.36	543.96	227.64
18	41- पथ निर्माण विभाग	522.14	10.32	410.57	121.89
19	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	5552.46	2433.26
20	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	292.54	23.72	121.61	194.65
21	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	176.45	5.13	117.51	64.07
22	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	357.26	20	356.52	20.74
23	49- जल संसाधन विभाग	429.59	0.52	303.64	126.47
24	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.49	917.68	781.9
25	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1878.68	211.16	1852.75	237.09
26	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	6264.9	2368.79
27	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	3772.5	1331.82
	<b>कुल</b>	<b>50019.57</b>	<b>5275.96</b>	<b>38526.1</b>	<b>16769.42</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
28	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	116.62	6.66	100.91	22.37
	<b>कुल</b>	<b>116.62</b>	<b>6.66</b>	<b>100.91</b>	<b>22.37</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
29	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	97.72	37.42	56.67	78.47
30	41- पथ निर्माण विभाग	3384	40.31	3081.21	343.1
31	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	487.04	7.13	465.62	28.55

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
32	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	80	10	43.62	46.38
33	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	110.65	20	93.34	37.31
34	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	43	3.35	5.29	41.06
	<b>कुल</b>	<b>4202.41</b>	<b>118.21</b>	<b>3745.75</b>	<b>574.87</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>54338.6</b>	<b>5400.83</b>	<b>42372.76</b>	<b>17366.66</b>

**परिशिष्ट 3.2**  
**अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)**

( करोड़ में )

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत	आधिक्य
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल			
1	1	2401-102-AW- फसल की लेन देन, वितरण एवं बीज उत्पादन	4.50	0.00	7.50	12.00	7.56	4.44	0.00
2		2401-789-AW- फसल की लेन देन, वितरण एवं बीज उत्पादन	1.50	0.00	0.75	2.25	1.02	1.23	0.00
3	2	2403-001-02- अधीक्षन-सभागीय प्रभार	2.37	0.00	0.20	2.57	2.17	0.39	0.00
4		2403-103-04- मुर्गीपालन फार्म और लघु ड्रेसिंग संयंत्र	1.04	0.00	0.25	1.29	1.23	0.07	0.00
5		2403-113-01-स्थापना राज्य पशुधन/अनुसंधान संस्थान	4.94	0.00	0.45	5.39	5.26	0.14	0.00
6	3	4059-01-051-58- कार्यालय भवन/परिसदन	50.00	0.00	20.00	70.00	65.10	13.90	0.00
7	12	7610-202-04- मोटर कार की खरीदारी के लिए विधायकों को अग्रिम	3.00	0.00	5.00	8.00	4.46	3.54	0.00
8	13	2049-01-200-11- ग्रामीण विद्यतीकरण निगम लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज	40.00	0.00	81.77	121.77	105.15	16.62	0.00
9	18	3456-102-57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.35	0.00	1.60	1.95	0.96	0.99	0.00
10		3456-789-57- - झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.15	0.00	0.80	0.95	0.70	0.25	0.00
11		3456-796-57-- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खद्यान्न निधि	0.50	0.00	2.60	3.10	2.12	0.98	0.00
12	22	2055-003-04- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मुसाबानी	10.62	0.00	0.43	11.05	10.35	0.70	0.00
13	36	4215-01-796-02-ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना	133.57	0.00	20.00	153.57	150.01	3.56	0.00
14	41	5054-03-796-01- मुख्य सड़कें	1125.00	0.00	50.00	1175.00	1048.50	126.50	0.00
15	50	4702-796-19- नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	25.20	10.00	13.75	48.95	48.83	0.12	0.00
16	52	2204-104-02- खेल और क्रीड़ा	1.20	0.10	0.70	2.00	1.44	0.57	0.00
		<b>कुल</b>	<b>1403.95</b>	<b>10.10</b>	<b>205.80</b>	<b>1619.85</b>	<b>1454.86</b>	<b>174.01</b>	<b>0.00</b>
17	36	2215-01-101-04- नगर निगम की शहरी जल आपूर्ति योजना	24.05	0.00	0.10	24.15	20.46	3.70	0.01
18		2215-01-102-03-चापानल, टंकी और कुआँ- उच्च दाब नलकूप	91.11	16.53	-0.10	107.55	88.33	19.28	0.06
19	56	2515-001-03- जिला पंचायत स्थापना	204.62	0.00	0.50 -0.25	204.87	135.68	69.22	0.03
		<b>कुल</b>	<b>319.78</b>	<b>16.53</b>	<b>0.25</b>	<b>336.57</b>	<b>244.48</b>	<b>92.19</b>	<b>0.10</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>1723.73</b>	<b>26.63</b>	<b>206.05</b>	<b>1956.42</b>	<b>1699.34</b>	<b>266.20</b>	<b>0.10</b>

**परिशिष्ट 3.3**  
**वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ` 100 करोड़ से अधिक)**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)**

( करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	204.25	0	204.25	91.71	112.55	112.46
3	10 - उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
4	15- पेंशन	7060.19	0	7060.19	6796.51	263.68	500.00
5	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1553.56	139.04	1692.60	1365.71	326.88	326.88
6	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	875.10	134.48	1009.58	725.80	283.78	270.83
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	939.56
8	21 उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1602.67	0	1602.67	1467.73	134.94	134.94
9	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.86	142.54	6093.40	5270.05	823.35	823.97
10	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	428.83	125.07	553.90	237.59	316.32	316.32
11	27 - विधि विभाग	518.86	13.18	532.04	345.51	186.53	186.53
12	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.53	2393.10	840.56	1552.54	1342.49
13	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
14	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	760.24	11.36	771.60	543.97	227.63	226.97
15	41- पथ निर्माण विभाग	522.14	10.32	532.46	410.57	121.89	95.46
16	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
17	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	292.54	23.72	316.26	121.61	194.65	194.65
18	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2505.74	632.23	3137.97	2882.58	255.38	255.38
19	49- जल संसाधन विभाग	429.59	0.52	430.11	303.64	126.47	126.47
20	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.49	1699.58	917.68	781.90	781.90

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
21	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
22	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1878.68	211.16	2089.84	1852.75	237.09	237.12
23	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2523.38	0	2523.38	2033.04	490.34	490.68
24	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवक व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
25	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	<b>कुल</b>	<b>63910.42</b>	<b>5850.48</b>	<b>70215.90</b>	<b>51498.26</b>	<b>18717.65</b>	<b>18704.01</b>
<b>पूँजीगत</b>							
1	3- भवन निर्माण विभाग	566.50	0	566.50	175.99	390.51	390.64
2	10- उर्जा विभाग	1529.02	2767.50	4296.52	3973.66	322.86	322.86
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	712.48	0	712.48	438.30	274.18	274.34
4	41- पथ निर्माण विभाग	3384.00	40.31	3424.31	3081.21	343.10	343.04
5	49- जल संसाधन विभाग	902.00	351.63	1253.63	952.97	300.66	301.11
	<b>कुल</b>	<b>7094.00</b>	<b>3159.44</b>	<b>10253.44</b>	<b>8622.13</b>	<b>1631.31</b>	<b>1631.99</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>71004.42</b>	<b>9009.92</b>	<b>80469.34</b>	<b>60120.39</b>	<b>20348.96</b>	<b>20336.00</b>

**परिशिष्ट 3.4**  
**वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ` 500 करोड़ से अधिक)**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)**

( ` करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	10 - उर्जा विभाग	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
3	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	939.56
4	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5950.86	142.54	6093.40	5270.05	823.35	823.97
5	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2376.57	16.53	2393.10	840.56	1552.54	1342.49
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
8	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1646.09	53.490	1699.58	917.68	781.90	781.90
9	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
10	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
11	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	<b>कुल</b>	<b>43209.65</b>	<b>4549.40</b>	<b>47759.05</b>	<b>32319.54</b>	<b>15439.52</b>	<b>15229.32</b>

**परिशिष्ट 3.5**  
**मार्च महीने के अंत में 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)**

( करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पण की राशि
<b>राजस्व</b>							
1	1	3042.81	157.65	3200.46	1131.00	2069.46	2069.46
2	2	248.45	15.02	263.47	201.50	61.97	61.97
3	3	125.10	0	125.10	80.69	44.41	44.41
4	4	54.85	4.03	58.88	41.15	17.74	20.39
5	6	104.14	20.73	124.87	113.81	11.07	11.07
6	9	204.25	0	204.25	91.71	112.46	112.46
7	10	3424.35	1070.93	4495.28	2873.12	1622.16	1622.41
8	11	44.21	0.80	45.01	30.24	14.77	14.64
9	12	71.11	0.06	71.16	41.22	29.94	29.94
10	15	7060.19	0	7060.19	6796.51	263.68	500.00
11	17	97.83	5.83	103.66	87.07	16.59	16.59
12	18	1553.56	139.04	1692.60	1365.71	326.88	326.88
13	19	875.10	134.48	1009.58	725.80	283.78	270.83
14	20	4252.22	164.10	4416.32	3475.71	940.62	393.56
15	21	1602.67	0	1602.67	1467.73	134.94	134.94
16	22	5950.86	142.55	6093.41	5270.05	823.35	823.97
17	23	303.60	4.86	308.46	212.34	96.12	96.08
18	26	428.83	125.07	553.90	237.59	316.32	316.32
19	27	518.86	13.18	532.04	345.51	186.53	186.53
20	28	116.62	6.66	123.28	100.91	22.37	22.38
21	29	74.35	0.41	74.76	39.69	35.06	35.06
22	32	107.30	2.03	109.33	98.71	10.63	10.63
23	35	177.15	0.14	177.29	108.20	69.09	69.09
24	36	2376.57	16.53	2393.10	840.57	1552.54	1342.49
25	38	31.01	0.35	31.36	15.82	15.54	15.54
26	39	985.11	912.50	1897.61	1375.94	521.67	521.67
27	40	760.24	11.36	771.60	543.97	227.64	226.97
28	41	522.14	10.32	532.46	410.57	121.89	95.46
29	42	6448.76	1536.96	7985.72	5552.46	2433.26	2433.18
30	43	292.54	23.72	316.26	121.61	194.65	194.65
31	45	176.45	5.13	181.58	117.51	64.07	64.07
32	46	104.49	0	104.49	56.80	47.69	47.69
33	47	357.26	20.00	377.26	356.52	20.74	20.74
34	48	2505.74	632.23	3137.97	2882.59	255.38	255.38
35	49	429.59	0.52	430.11	303.64	126.47	126.47
36	50	116.75	0	116.75	71.60	45.15	45.15



क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पण की राशि
37	51	1646.09	53.49	1699.58	917.68	781.91	781.91
38	52	120.39	0.31	120.70	53.46	67.25	67.10
39	53	65.43	22.63	88.06	72.22	15.84	15.84
40	54	170.63	0	170.63	89.69	80.94	80.95
41	55	1839.57	0	1839.57	845.62	993.95	993.95
42	56	1878.68	211.16	2089.84	1852.75	237.09	237.12
43	58	2523.38	0	2523.38	2033.03	490.34	490.68
44	59	8628.96	4.73	8633.69	6264.90	2368.79	2368.91
45	60	4614.35	489.97	5104.32	3772.50	1331.82	1331.82
	<b>कुल</b>	<b>67032.54</b>	<b>5959.48</b>	<b>72992.01</b>	<b>53487.42</b>	<b>19504.56</b>	<b>18947.35</b>
<b>पूँजीगत</b>							
1	3	566.50	0	566.50	175.99	390.51	390.64
2	8	41.02	0	41.02	19.14	21.88	21.88
3	9	85.00	0	85.00	47.89	37.11	35.52
4	10	1529.02	2767.50	4296.52	3973.66	322.86	322.86
5	12	77.00	0	77.00	6.98	70.02	70.02
6	20	319.86	341.15	661.01	586.13	74.87	74.87
7	22	435.15	234.25	669.40	570.88	98.52	98.45
8	26	97.72	37.43	135.15	56.67	78.47	78.47
9	30	122.20	28.93	151.13	136.44	14.69	14.69
10	36	712.48	0	712.48	438.30	274.18	274.34
11	41	3384.00	40.31	3424.31	3081.21	343.10	343.04
12	42	487.04	7.13	494.17	465.62	28.55	27.98
13	43	116.20	0	116.20	63.84	52.36	52.36
14	46	80.00	10.00	90.00	43.62	46.38	46.38
15	48	37.00	0	37.00	22.91	14.09	14.09
16	49	902.00	351.63	1253.63	952.97	300.66	301.11
17	50	110.65	20.00	130.65	93.34	37.31	37.38
18	51	165.20	0	165.20	132.84	32.36	32.36
19	52	44.00	0	44.00	26.03	17.97	17.97
20	53	22.97	0	22.97	7.68	15.29	15.29
21	55	776.70	105.00	881.70	817.87	63.83	63.85
22	60	43.00	3.35	46.35	5.29	41.07	41.07
	<b>कुल</b>	<b>10154.71</b>	<b>3946.68</b>	<b>14101.39</b>	<b>11725.30</b>	<b>2376.08</b>	<b>2374.62</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>77187.25</b>	<b>9906.16</b>	<b>87093.40</b>	<b>65212.72</b>	<b>21880.64</b>	<b>21321.97</b>

**परिशिष्ट 3.6**  
**2020-21 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.1)**

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
1	3	4059-01-796-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत	20.00	16.43	3.57	3.63	0.06
		4059-01-796-58	व्यय	105.00	62.39	42.61	42.68	0.07
2	4	2013-00-108-01	मंत्री परिषद	2.00	1.89	0.11	0.13	0.03
		2070-00-115-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8.32	5.55	2.76	5.39	2.63
3	10	2059-80-001-10	लोक निर्माण कार्य	43.89	3.41	40.49	40.74	0.25
4	12	2070-00-800-08	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	15.00	12.86	2.14	2.64	0.50
5	13	2049-01-101-01	ब्याज भुगतान	3260.90	00	3260.90	3439.64	178.74
		2049-01-305-01		10.00	00.0	10.00	11.33	1.33
		2049-04-101-03		00.00	00.00	00.00	46.50	46.50
		2049-04-104-03		00.00	00.00	00.00	22.47	22.47
6	14	2048-00-101-01	कर्ज से बचाव में कमी के लिए (भारित) विनियोग	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
		6003-00-101-03	राज्य के आंतरिक ऋण	00.00	00.00	00.00	0.01	0.01
		6003-00-101-24		00.00	00.00	00.00	500.00	500.00
		6004-02-105-01	केन्द्रीय सरकार के कर्ज तथा अग्रिम	65.55	00.00	65.55	91.17	25.63
7	15	2071-01-101-05	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति	5.00	00.00	5.00	264.69	259.69
		2071-01-101-06	हितलाभ	4550.00	500.00	4050.00	4262.65	212.65
		2071-01-101-10		10.00	00.00	10.00	14.00	4.00
		2071-01-105-03		0.01	0.00	0.01	0.12	0.12
		2071-01-105-05		150.00	00.00	150.00	229.33	79.33
		2071-01-105-06		0.01	00.00	0.01	2.46	2.46
8	22	2055-00-001-01	पुलिस	45.91	23.21	22.74	22.95	0.21
		2055-00-109-01		3114.27	448.61	2665.67	2666.17	0.50
9	24	2220-01-001-01	सूचना एवं प्रचार	12.05	3.43	8.62	8.73	0.11
10	28	2014-00-102-01	प्रशासन न्याय	110.66	15.47	95.19	95.20	0.76
11	32	2011-02-103-01	संसद/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश विधायिका	68.19	3.29	64.90	65.02	0.12
12	36	2215-01-101-04	जल आपूर्ति स्वच्छता	24.05	3.60	20.46	20.46	0.52
		2215-01-102-02		40.76	5.95	34.81	34.83	0.02
		2215-01-102-03		107.65	19.38	88.27	88.33	0.06
		4215-01-102-06	जल जलापूर्ति स्वच्छता पर पूंजीगत व्यय	33.00	0.19	32.81	32.98	0.17
13	41	3054-80-001-08	सड़क तथा पुल	23.32	6.91	16.40	16.41	0.01
14	49	4701-80-796-54	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत	149.73	0.24	149.49	149.55	0.06
		4701-80-796-62	व्यय	25.00	0.08	25.00	26.67	1.67
		4701-80-800-54		00.00	00.00	00.00	0.61	0.61
15	50	4702-00-101-37	लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	3.00	2.14	0.86	0.94	0.07
16	54	2404-00-102-10	डेयरी विकास	8.23	1.09	7.14	7.14	0.35
17	55	4515-00-103-10	अन्य ग्रामिण विकास कार्यक्रम	149.00	1.52	147.48	148.11	0.63
		4515-00-796-04	पर पूंजीगत व्यय	240.00	24.36	215.64	215.98	0.34
18	56	2515-00-001-03	अन्य ग्रामिण विकास कार्यक्रम	204.62	68.97	135.65	135.68	0.03
19	58	2202-02-109-01	सामान्य शिक्षा	503.77	15.51	488.26	488.39	0.13
		2202-02-109-66		325.00	75.71	249.29	249.39	0.10
20	59	2202-01-101-01		4421.72	1256.19	3165.53	3165.73	0.20
		2202-01-796-46		3.37	0.74	2.63	2.63	0.11

**परिशिष्ट 3.7**  
**पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)**

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (` करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
<b>कुल</b>			<b>3328.68</b>

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

\*आधिक्य राशि मात्र ` 8807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ` 1072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ` 81665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ` 11160 था।

**परिशिष्ट 3.8**  
**योजनाओं का विवरण ( एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था**  
**लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)**

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	( करोड़ में)	
			स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-बी.जी.	0.00	4.51
2		2401-00-102-बी.एच.	60.00	0
3		2401-00-105-ए.वी.	0.54	2.36
4		2401-00-105-ए.वी.	0.36	1.57
5		2401-00-789- बी.एच.	20.00	0
6		2401-00-796- ए.वी.	1.08	4.73
7		2401-00-796- ए.वी.	0.72	3.15
8		2401-00-796-बी8	0.00	1.33
9		2401-00-796- बी.एच.	120.00	0
10		2415-80-277-15	10.00	0
11		4401-00-101-12	1.20	0
12	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-ए5	1.00	0
13		2403-00-101-ए.डी.	1.00	0
14		2403-00-106-ए6	1.74	0
15		2403-00-106-ए6	1.16	0
16		2403-00-796-ए5	1.00	0
17		2403-00-796-ए.ए	1.00	0
18	3451-01-789-03	1.00	0	
19	3- भवन निर्माण विभाग	4216-01-106-03	1.00	0
20	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग)	2015-00-105-04	1.00	0
21	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-03	10.00	0
22	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-28	30.00	0
23		2425-00-789-28	20.00	0
24		2425-00-796-28	50.00	0
25	10- उर्जा विभाग	2801-05-001-06	208.00	0
26		2801-05-052-03	15.50	0
27		2801-05-052-05	80.60	0
28		2801-05-052-07	186.00	0
29		2801-05-789-03	3.00	0
30		2801-05-789-05	15.60	0
31		2801-05-789-06	96.00	0
32		2801-05-789-07	36.00	0
33		2801-05-796-03	6.50	0
34		2801-05-796-05	33.80	0
35		2801-05-796-06	496.00	0
36		2801-05-796-07	78.00	0
37		2801-06-052-04	155.00	0
38		2801-06-052-05	31.00	0
39		2801-06-789-04	30.00	0
40		2801-06-789-05	6.00	0
41		2801-06-796-04	65.00	0
42		2801-06-796-05	13.00	0
43		2801-80-101-02	3.13.00	0
44		2801-80-796-18	10.00	0
45		2801-80-796-21	4.90	0
46		6801-00-201-24	4.00	0
47		6801-00-202-01	5.00	0
48	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2075-00-791-02	5.50	0
49		7610-00-201-01	50.00	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
50		7610-00-201-02	5.00	0
51		7610-00-201-03	5.00	0
52		7610-00-202-01	7.00	0
53		7610-00-202-02	1.00	0
54		7610-00-202-03	1.00	0
55	15- पेंशन	2071-01-101-09	100.00	0
56		3456-00-102-61	16.76	0
57	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-789-61	5.36	0
58		3456-00-796-61	18.88	0
59		2406-01-101-48	15.00	0
60		2406-01-102-63	2.00	0
61		2406-01-102-63	1.34	0
62		2406-01-110-49	3.00	0
63		2406-01-110-49	2.00	0
64	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-48	5.00	0
65		2406-01-796-65	1.56	0
66		2406-01-796-65	1.04	0
67		2406-04-103-03	2.50	0
68		2406-04-103-06	2.50	0
69		2406-04-103-07	2.50	0
70		2210-01-001-64	4.00	0
71		2210-01-001-79	2.00	0
72		2210-01-103-78	99.16	0
73		2210-01-104-74	5.00	0
74		2210-01-109-40	12.00	0
75		2210-01-110-55	2.00	0
76		2210-01-110-62	2.00	0
77		2210-01-789-78	19.19	0
78		2210-01-796-64	4.00	0
79		2210-01-796-74	5.00	0
80		2210-01-796-76	5.00	0
81		2210-01-796-78	41.58	0
82		2210-02-101-30	5.00	0
83		2210-02-200-27	9.00	0
84	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-200-27	9.17	0
85		2210-03-101-20	2.00	0
86		2210-05-101-17	4.75	0
87		2210-05-105-16	3.12	0
88		2210-05-105-16	2.08	0
89		2210-05-105-21	60.85	0
90		2210-05-105-28	15.00	0
91		2210-05-796-28	10.00	0
92		2210-06-101-21	2.00	0
93		4210-01-110-42	1.46	0
94		4210-01-110-43	7.65	0
95		4210-01-110-43	5.10	0
96		4210-01-110-44	4.11	0
97		4210-01-110-44	2.00	0
98		4210-01-796-26	5.00	0
99		2202-03-102-बी1	2.00	0
100	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-बी8	2.00	0
101		2202-03-796-बी1	3.00	0
102		2202-03-796-बी7	15.00	0
103	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-115-01	5.00	0
104		4055-00-207-45	6.14	8.91

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
105		4055-00-207-80	3.38	0
106		4055-00-796-33	3.00	0
107		4055-00-796-82	3.33	0
108		4070-00-796-83	3.11	0
109		4070-00-796-84	2.95	0
110	23- उद्योग विभाग	2851-00-796-02	5.30	0
111		2851-00-796-56	3.10	0
112		2852-80-102-86	1.00	0
113		2852-80-796-76	9.00	0
114	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-01-796-03	1.00	0
115	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-01-796-38	1.00	0
116		2230-03-003-53	3.40	0
117		2230-03-796-53	5.00	0
118		2235-60-796-07	10.00	0
119		4059-01-796-55	7.25	0
120		4250-00-789-01	5.00	0
121		4250-00-796-09	3.60	0
122		4250-00-796-09	2.40	0
123	27- विधि विभाग	2014-00-116-01	1.10	0
124	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-20	1.00	0
125		4225-80-796-21	2.00	0
126	35- योजना—सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-094-34	2.00	0
127		2053-00-796-34	3.29	0
128		2053-00-796-36	1.00	0
129		2053-00-796-44	5.00	0
130		3554-02-796-16	5.21	0
131	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-03	70.00	0
132		4215-01-789-03	30.00	0
133		4215-01-796-03	100.00	0
134	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02	1.00	0
135	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	1.00	0
136		2245-01-101-02	5.00	0
137		2245-01-101-06	20.00	0
139		2245-01-101-07	221.22	0
140		2245-01-101-08	2.00	0
141		2245-01-101-09	1.00	0
142		2245-01-102-01	11.00	0
143		2245-01-102-02	11.00	0
144		2245-01-102-04	10.00	0
145		2245-01-104-01	1.00	0
146		2245-01-282-01	5.00	0
147		2245-02-101-06	5.00	0
148		2245-02-101-07	1.00	0
149		2245-02-282-01	1.02	0
150		2245-80-001-22	1.60	0
151		2245-80-102-12	1.00	0
152		40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभा (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-103-01	1.00
153	2029-00-104-03		1.48	0
154	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01	10.00	0
155		5054-03-052-06	1.50	0
156	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-101-16	4.90	0
157		2501-06-101-17	24.50	0
158		250106-101-18	2.45	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
159		2501-06-789-16	1.50	0
160		2501-06-789-17	7.50	0
161		2501-06-796-16	3.60	0
162		2501-06-796-17	18.00	0
163		2501-06-796-18	1.80	0
164		2505-02-796-06	1.00	0
165		2515-02-102-60	3.92	0
166		2515-00-789-60	1.20	0
167		2515-00-796-60	2.88	0
168		4515-00-796-42	5.00	0
169		2203-00-003-ए7	7.40	0
170		2203-00-003-ए.बी.	44.40	0
171		2203-00-003-ए.सी.	17.89	0
172		2203-00-004-41	5.55	0
173		2203-00-004-ए5	18.50	0
174		2203-00-004-एई	7.40	0
175	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-789-एसी	3.91	0
176		2203-00-796-41	1.95	0
177		2203-00-796-ए5	6.50	0
178		2203-00-796-ए7	2.60	0
179		2203-00-796-एबी	15.60	0
180		2203-00-796-एसी	1.58	0
181		2203-00-796-एई	2.60	0
182		3452-80-104-14	1.50	0
183		3452-80-104-18	1.00	0
184	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3452-80-796-14	1.50	0
185		3452-80-796-18	1.00	0
186		5452-80-104-70	45.00	0
187		5452-80-796-70	10.00	0
188		3055-00-796-02	3.00	0
189	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	5055-00-190-23	2.00	0
190		4700-80-789-13	25.00	0
191	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	25.00	0
192		4701-80-001-65	1.00	0
193		2702-01-102-02	3.00	0
194	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-24	2.00	0
195		4702-00-796-24	3.00	0
196		2225-01-789-09	1.00	0
197		2225-01-789-09	1.00	0
198		2225-01-789-53	1.00	0
199		2225-01-789-67	13.00	0
200		2225-01-789-95	26.00	0
201		2225-02-277-01	10.00	0
202		2225-02-277-71	1.00	0
203	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-02-277-98	1.50	0
204		2225-02-277-ए1	3.70	0
205		2225-02-277-ए3	10.00	0
206		2225-02-796-39	28.00	0
207		2225-02-796-71	2.00	0
208		4225-01-789-02	2.00	0
209		4225-01-789-02	2.00	0
210		4225-02-277-43	1.00	0
211		4225-03-796-02	2.00	0
212		4225-03-796-02	2.00	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
213	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-104-57	6.00	0
214		2204-00-796-52	1.50	0
215		2204-00-796-54	1.25	0
216		2204-00-796-57	9.00	0
217		4202-03-102-20	4.00	0
218		4202-03-796-20	4.00	0
219		4202-04-101-13	1.80	0
220		4202-04-101-13	1.80	0
221	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-796-62	1.06	0
222		2405-00-796-62	1.06	0
223		4405-00-101-74	3.08	0
224		4405-00-101-74	3.08	0
225	54- कृषि, पशुपाल एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74	2.40	0
226		2404-00-102-74	1.60	0
227		2404-00-102-76	2.00	0
228		2404-00-102-83	8.50	0
229		2404-00-102-86	2.00	0
230		2404-00-796-83	6.50	0
231	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-36	1.20	0
232		2515-00-102-63	170.00	0
233		2515-00-796-36	1.20	0
234		2515-00-796-63	180.00	0
235	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-54	8.00	0
236		2515-00-001-57	5.00	0
237		2515-00-789-57	4.00	0
238		2515-00-796-57	7.50	0
239		2515-00-796-58	1.00	0
240	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-18	5.00	0
241		2202-02-109-24	5.00	0
242		2202-02-109-80	12.50	0
243		2202-02-789-18	1.70	0
244		2202-02-789-24	1.70	0
245		2202-02-789-49	5.10	0
246		2202-02-789-68	14.45	0
247		2202-02-789-81	3.40	0
248		2202-02-796-24	3.30	0
249		2202-02-796-49	9.90	0
250		2202-02-796-81	6.60	0
251		2202-05-200-06	7.51	0
252		2202-05-200-06	2.24	0
253		2202-05-789-06	2.54	0
254		2202-05-796-06	4.95	0
255	2202-05-796-06	1.48	0	
256	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-60	11.43	0
257		2202-01-789-60	2.94	0
258		2202-01-796-60	5.63	0
259	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-48	5.82	0
260		2235-02-102-48	3.88	0
261		2235-02-102-53	1.54	0
262		2235-02-102-53	1.03	0
263		2235-02-102-ए1	1.26	0
264		2235-02-103-64	1.16	0
265		2235-02-103-एडी	1.62	0
266		2235-02-103-एडी	1.08	0
267		2235-02-103-एएच	2.94	0



क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
268		2235-02-103-ए एल	12.27	0
269		2235-02-103-ए एल	8.54	0
270		2235-02-106-ए4	1.17	0
271		2235-02-796-48	6.18	0
272		2235-02-796-48	4.12	0
273		2235-02-796-53	1.68	0
274		2235-02-796-53	1.12	0
275		2235-02-796-64	1.16	0
276		2235-02-796-ए3	1.00	0
277		2235-02-796-एडी	1.98	0
278		2235-02-796-एडी	1.32	0
279		2235-02-796-एच	4.06	0
280		2235-02-796-ए1	1.37	0
281		2236-02-101-06	1.64	0
282		2236-02-101-06	1.64	0
283		2236-02-101-07	0.00	156.00
284		2236-02-789-07	0.00	31.00
285		2236-02-796-06	1.90	0
286		2236-02-796-06	1.90	0
287		2236-02-796-07	0.00	125.00
288		4235-02-101-78	12.00	0
289		4235-02-103-73	1.35	0
290		4235-02-103-77	1.50	0
291		4235-02-103-77	1.00	0
292		4235-02-796-73	1.65	0
293		4235-02-796-73	1.10	0
294		4235-02-796-77	1.50	0
295		4235-02-796-77	1.00	0
296		4235-02-796-78	18.00	0
<b>कुल</b>			<b>4262.08</b>	<b>338.56</b>

**परिशिष्ट 3.9**  
**व्यय का वेग**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.4)**

( करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च में व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2245	424.69	987.75	100.00	987.75	43.00
2	3075	9.50	335.33	100.00	335.33	2.83
3	4047	3.82	8.76	100.00	8.76	43.61
4	4408	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00
5	4801	626.00	626.00	100.00	626.00	100.00
6	4875	0.76	0.76	100.00	0.76	100.00
7	4885	5.00	7.00	100.00	7.00	71.43
8	5075	0.00	5.00	100.00	5.00	0.00
9	5452	42.91	42.91	98.39	43.62	98.39
10	4225	228.46	260.05	96.57	269.28	84.84
11	3451	805.78	812.24	94.62	858.39	93.87
12	4405	5.51	7.25	94.34	7.68	71.69
13	2852	83.64	104.08	94.24	110.45	75.73
14	4210	516.89	534.20	91.14	586.13	88.19
15	2401	281.27	882.47	88.39	998.40	28.17
16	2225	720.26	792.36	86.90	911.79	78.99
17	2406	317.09	432.48	84.72	510.51	62.11
18	2404	71.70	74.61	83.19	89.69	79.95
19	2204	19.67	32.73	75.68	43.25	45.49
20	4701	394.10	633.78	75.22	842.52	46.78
21	2216	3.69	12.18	74.59	16.34	22.61
22	5055	9.42	11.07	73.87	14.98	62.84
23	4235	3.79	3.79	71.63	5.29	71.63
24	2217	1466.79	2021.08	70.62	2861.72	51.26
25	2205	4.39	6.47	70.09	9.24	47.54
26	3054	216.05	279.75	68.52	408.28	52.92
27	2230	134.76	151.90	68.42	222.01	60.70
28	4515	486.58	867.13	67.56	1283.49	37.91
29	4711	6.22	10.27	65.82	15.60	39.90
30	4403	1.93	1.93	65.82	2.93	65.82
31	4059	77.08	123.70	65.53	188.76	40.84
32	2405	34.56	46.58	64.50	72.22	47.86
33	5054	1250.79	1862.68	60.45	3081.21	40.59
<b>कुल</b>		<b>8268.10</b>	<b>11993.28</b>	<b>77.72</b>	<b>15439.33</b>	<b>53.55</b>

**परिशिष्ट 3.10**

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अभ्यर्पण  
(कंडिका: संदर्भ 3.5.8)

(८ लाख में)

क्र. सं.	सचिवालय/कार्यालय	कार्यों/ उप-शीर्षों की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित	अभ्यर्पण तिथि
1	अवर सचिव भ.नि.वि. (सरकार पक्ष) राँची	06	32.24	7.72	24.52(76%)	31.03.21
2	का. अभि., भ.नि.प्र. सं.-01, राँची	02	77.52	8.43	69.09(89 %)	31.03.21
3	का. अभि., भ.नि.प्र. सं.-02, राँची	09	171.52	7.22	164.30(96%)	31.03.21
4	का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	05	611.43	144.60	466.83(76%)	31.03.21
5	का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	01	0.50	0.20	0.30 (60%)	31.03.21
6	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	04	1.48	0.02	1.46(99%)	31.03.21
7	का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	01	0.60	0.25	0.35 (58%)	31.03.21
8	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	04	2.18	0.13	2.05(94%)	31.03.21
9	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	04	101.23	0.09	101.14 (100%)	31.03.21
10	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	04	2.05	0.00	2.05(100%)	31.03.21
<b>कुल</b>		<b>40</b>	<b>1000.75</b>	<b>168.66</b>	<b>832.09(83%)</b>	

**परिशिष्ट 3.11**  
**व्यय का वेग (भवन निर्माण विभाग)**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.5.9)**

(` करोड़ में)

सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप- शीर्षों की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
राज्य (सरकार पक्ष)	4059-01-796-58	42.68	17.19	40
	4059-01-796-59	11.89	4.83	41
	4059-01-051-58	65.10	26.71	41
	2059-80-001-11	2.13	1.48	69
	4059-01-051-39	2.36	2.30	97
	4059-01-796-39	5.59	5.59	100
<b>कुल</b>		<b>129.75</b>	<b>58.10</b>	
अवर सचिव भ.नि.वि. (मु.) का कार्यालय राँची	07	0.10	0.08	42 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., सं. -01, राँची	08	33.35	18.43	43 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-02, राँची	15	2.46	2.34	57 और 100
का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	05	5.42	3.82	56 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., बोकारो	03	0.86	0.76	49 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	03	0.32	0.31	51 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	04	1.14	0.92	71 से से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	05	13.53	13.52	46 से 100
का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	03	0.11	0.11	100
का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	02	4.98	4.97	48 और 100
का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	03	0.25	0.25	100
<b>कुल</b>	<b>58</b>	<b>62.52</b>	<b>45.51</b>	

**परिशिष्ट 3.12**  
**विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.5.10)**

( करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडल	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	अवर सचिव भ.नि.वि. (मु.) का कार्यालय राँची	स्थापना व्यय	6.53	0.00	6.53
2	का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-01, राँची	स्थापना व्यय	4.49	0.00	4.49
		सामान्य व्यय (कार्य)	33.35	0.00	33.35
3	का. अभि., भ.नि.प्र., सं.-02, राँची	स्थापना व्यय	3.15	0.00	3.15
		सामान्य व्यय (कार्य)	16.02	12.01	4.01
4	का. अभि., भ.नि. विशेष प्रमंडल, राँची	स्थापना व्यय	1.58	0.00	1.58
5	का. अभि., भ.नि.प्र., बोकारो	स्थापना व्यय	1.49	0.00	1.49
6	का. अभि., भ.नि.प्र., धनबाद	स्थापना व्यय	1.89	0.00	1.89
7	का. अभि., भ.नि.प्र., गुमला	स्थापना व्यय	0.99	0.00	0.99
8	का. अभि., भ.नि.प्र., हजारीबाग	स्थापना व्यय	2.13	0.00	2.13
9	का. अभि., भ.नि.प्र., जमशेदपुर	स्थापना व्यय	1.54	0.00	1.54
10	का. अभि., भ.नि.प्र., सरायकेला	स्थापना व्यय	0.99	0.00	0.99
11	का. अभि., भ.नि.प्र., रामगढ़	स्थापना व्यय	0.86	0.00	0.86
<b>कुल योग</b>			<b>75.01</b>	<b>12.01</b>	<b>63.00</b>

**परिशिष्ट 3.13**  
**व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खातों में अवरुद्ध निधि**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)**

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
1.	लोहरदगा जिला के देवनाद दामोदर में स्वागत द्वारा का निर्माण	2017-18	3457200	3457200	938738	2390476	1066724
2.	सलगी ब्लॉक/प्रखण्ड कुड़, लोहरदगा, देवनाद दामोदर में चुल्हा पानी स्वागत द्वार का निर्माण				1054000		
3.	लावा पानी पशरार (बगड़, लोहरदगा) में स्वागत द्वार का निर्माण				937738		
4.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत कोरम्बे मंदिर के समीप शौचालय एवं स्नानगार का निर्माण	2019-20	3171000	3171000	694875	3161463	9537
5.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखलेश्वर धाम मंदिर के समीप विवाह भवन का निर्माण				2466588		
6.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर दूसरी एवं अंतिम जल-प्रपात विकास का निर्माण	2019-20	5000000	5000000	0	1893938	3106062
7.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर (प्रथम एवं चतुर्थ) सीढ़ी एवं अन्य पर विकास कार्य				1893938		
8.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में ब्रिज/पुल संख्या 27 के विकास का निर्माण	2020-21	10000000	10000000	2344340	2344340	7655660
9.	जे.टी.डी.सी द्वारा परामर्शदात्री सेवाएँ	2017-18	28987522	75240424	15906862	15906862	59333562
		2018-19	13309176				
		2019-20	12943726				
		2020-21	20000000				
10.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	2017-18	20000000	42626000	5974357	5974357	36651643
		2018-19	20000000				
		2019-20	2626000				
11.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन में राज्य के गरीब परिवारों को पर्यटन सुविधा प्रदान करना	2017-18	66000000	116000000	33797070	33797070	82202930
		2018-19	25000000				
		2019-20	25000000				
12.	मौजूद परिसम्पत्तियों के प्रबंधन, स्वच्छता निर्माण, उन्नयन, प्रचार-प्रसार रख-रखाव और नवीकरण आदि के लिए जे.टी.डी.सी लिमिटेड को वित्तीय सहायक केन्द्र	2017-18	60000000	370000000	193294218	193294218	176705782
		2018-19	20000000				
		2019-20	150000000				
		2020-21	140000000				
13.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन आसूचना केन्द्र के मजबूतीकरण, रख-रखाव, संचालन आदि का आधुनिकीकरण	2017-18	1000000	12000000	2474858	2474858	9525142
		2018-19	5000000				
		2019-20	6000000				
14.	राँची जिला के दशम, जोन्हा और पंचघाघ जलप्रपात में साहसिक गतिविधि	2017-18	9747000	9747000	8356000	8356000	1391000
15.	जे.टी.डी.सी द्वारा कैलास मानसरोवर तीर्थयात्रा	2018-19	6000000	16000000	6000000	6000000	10000000
		2019-20	10000000				
16.	जे.टी.डी.सी द्वारा विभिन्न पर्यटन सर्किट-निर्माण कार्य का समेकित	2018-19	52517646	62517646	6000000	6000000	56517646
		2019-20	10000000				
17.	जे.टी.डी.सी द्वारा निष्पक्ष एवं प्रदर्शनी	2018-19	18101475	25601475	11231728	11231728	14369747
		2019-20	7500000				
18.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यटन स्थलों का रख-रखाव प्रबंधन और स्वच्छता	2018-19	28000000	78000000	53000000	53000000	25000000
		2019-20	25000000				
		2020-21	25000000				
19.	जे.टी.डी.सी द्वारा होटल अशोक विहार के पूँजीगत हिस्सेदारी का क्रय	2020-21	250000000	250000000	0	0	250000000
20.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रोत्साहन	2017-18	10000000	10000000	0	0	10000000
21.	जे.टी.डी.सी द्वारा पर्यावरण पर्यटन सर्किट	2018-19	38581944	38581944	38141275	38141275	522199
		2019-20	67566				
		2020-21	13964				
22.	जे.टी.डी.सी द्वारा प्रसाद योजना, देवघर	2018-19	116616517	116616517	190290432	190290432	18720157
		2019-20	482363				
		2020-21	91911709				

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
23.	रजरप्पा सड़कमार्ग और मन्दिर परिसर में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2017-18	79051728	79051728	65483448	65483448	13568280
24.	रामगढ़ जिला अन्तर्गत दर्शन दीर्घा	2017-18	7057200	32057200	32057200	0	32057200
		2018-19	25000000				
25.	रामगढ़ जिला अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास	2017-18	8000000	25500000	12200925	12200925	13299075
		2018-19	5000000				
		2019-20	5000000				
		2020-21	7500000				
26.	विभिन्न प्रबंधनों हेतु रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2017-18	902821	5902821	3218638	3218638	2684183
		2018-19	3000000				
		2020-21	2000000				
27.	लोहरदगा जिला के देवनाद दामोदर में स्वागत द्वार का निर्माण	2017-18	3457200	3457200	938738	2930476	526724
28.	सलगी ब्लॉक/प्रखण्ड कुड़, लोहरदगा, देवनाद दामोदर में चुल्हा पानी स्वागत द्वार का निर्माण				1054000		
29.	लावा पानी पशरार (बगड़, लोहरदगा) में स्वागत द्वार का निर्माण				937738		
30.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत कोरम्बे मंदिर के समीप शौचालय एवं स्नानगार का निर्माण	2019-20	3171000	3171000	694875	3161463	9537
31.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखलेश्वर धाम के समीप विवाह भवन का निर्माण				2466588		
32.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जलप्रपात पर दूसरी एवं अंतिम जल-प्रपात विकास का निर्माण	2019-20	5000000	5000000	0	1893938	3106062
33.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत पेशरार ब्लॉक/प्रखण्ड में लावा पानी जल-प्रपात (प्रथम एवं चतुर्थ) पर सीढ़ी और अन्य विकास कार्य				1893938		
34.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में ब्रिज/पुल संख्या 27 के विकास का निर्माण	2020-21	10000000	10000000	2344340	2344340	7655660
35.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत कनैश्वर मन्दिर में यात्रीशेड, बोरिंग, पार्इप फिटिंग, टंकी एवं सोलर प्रणाली	2016-17	2498300	2498300	2492884	2492884	5416
36.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत चित्तेश्वर मन्दिर, बहरागोड़ा में यात्रीशेड और बेंच का निर्माण	2016-17	1610900	1610900	1598382	1598382	12518
37.	जमशेदपुर जिला के अंतर्गत पंचा पाण्डव देव (पर्यटन) ग्रिल, चाहरदीवारी, स्थायी बेंच प्लेटफॉर्म मरम्मत और सार्वजनिक शौचालय का विकास	2016-17	1991400	1991400	1963719	1963719	27681
38.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोतका में शौचालय और पैदल पथ का निर्माण	2016-17	1814700	1814700	1789501	1789501	25199
39.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोतका में सार्वजनिक हॉल का निर्माण	2017-18	15000000	15000000	2374290	12204577	2795423
40.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी मन्दिर, दालभूमगढ़ में अतिथि घर/गोस्ट हाउस का निर्माण				2483266		
41.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत हरिना मन्दिर, पोतका में चाहरदीवारी और बेंच का निर्माण				1013620		
42.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत रंगकिनी मन्दिर, जादुगोड़ा, मुसावनी में विवाह गृह का निर्माण				194543		
43.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में बाल उद्यान का निर्माण				2431644		
44.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में चाहरदीवारी पेवर्स ब्लॉक और डीप बोरिंग का निर्माण	2088706					
45.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत राजबाड़ी दालभूम में बाल उद्यान में चाहरदीवारी और पी.सी.सी. सड़क का नवीकरण	1618508					
46.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत डिमना साहसिक	2018-19	1500000	1500000			

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि	कुल प्राप्त निधि	व्यय	कुल व्यय	शेष राशि
	पर्यटन मेला				0	0	1500000
47.	जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के लिए विकास	2020-21	3000000	3000000	0	0	3000000
48.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2017-18	10000000	10000000	8974770	8974770	1025230
49.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2018-19	10000000	10000000	7113230	7113230	2886770
50.	बोकारो जिला में पर्यटन स्थलों का विकास	2019-20	20000000	20000000	15865575	15865575	4134425
<b>कुल</b>			<b>1568590057</b>	<b>1568590057</b>	<b>717492883</b>	<b>717492883</b>	<b>851097174</b>



**परिशिष्ट 3.14**  
**कार्य का पूर्ण न होना**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.6.11)**

( लाख में )

क्र. सं.	योजना	कोष आवंटित (31.03.21 तक)	वितरण वर्ष	व्यय (31.03.21 तक)	पूर्णता निर्धारित तारीख	कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में
1.	कोडरमा जिला के उनवा में कोर्टेज का निर्माण	37.87		0	11.03.10	0
2.	धरती आबा बिरसा मुण्डा से संबंधित उलिहातू और डोम्बारीबुरू में पर्यटन क्षेत्र/स्थल का विकास	440.00	सितम्बर 2015 से जनवरी 2019	156.00	-	-
3.	पिठोरिया, राँची में सुतियाम्बे पहाड़ का विकास	319.19		215.73	19.10.17	58
4.	प्रसाद योजना बैधनाथ धाम, देवघर	1900.00		994.18	-	59
5.	नेतरहाट में सिविल निर्माण कार्य और कोयल भ्यू पॉइंट और बेतला में टेन्ट बेस का सिविल निर्माण कार्य	900.00		519.68	23.02.21	40
6.	दशम जल प्रपात, राँची का निर्माण	299.14		0	14.04.19	2
7.	पंचघाघ जल प्रपात, खूँटी का निर्माण कार्य	210.08	मार्च 2017	11.38	23.08.19	31
8.	उलिहातू और डोम्बारी बुरू का पर्यटन बिरासत स्थल केंद्र, खूँटी का निर्माण कार्य	225.00		155.54	17.04.18	50
9.	पर्यटन सर्किट रजरप्पा कैलश्वरी, इटखोरी रजरप्पा, पारसनाथ का समेकित विकास	1600.00		32.24	07.08.19	5
10.	पतरातू में वी.आई.पी. गेस्ट हाउस का निर्माण	1320.00		640.83	02.04.21	68
11.	सरायकेला खरसवाँ के चांडिल में पर्यटन विकास	400.00		0	09.04.21	0
12.	लुडुग्ररू, बोकारो जिला में सामुदायिक केन्द्र निर्माण एवं तीर्थयात्री सुविधा	1000.00		83.41	30.11.20	18
13.	ओपन एयर सिनेमाघर/थियेटर दुमका	1500.00		0.00	-	0
14.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत लावा पानी जल-प्रपात (दूसरे और अंतिम) में पर्यटन स्थलों का विकास एवं सीढियों का निर्माण कार्य	50.00		0.00	-	10
15.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत लावा पानी जल-प्रपात (प्रथम और चतुर्थ) में पर्यटन स्थलों का विकास एवं सीढियों का निर्माण कार्य			18.93	-	80
16.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत सलगी पंचायत के नामोदाग दुबंग में अवस्थित ब्रिज संख्या 27 के समीप पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित योजना	100.00		23.44	-	प्रगति में
17.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम में शिलापट्ट, रूद्राक्ष वृक्ष सुरक्षा और बैठक पैगोडा/शिवालय	50.00		50.00	18.10.2021	प्रगति में
18.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम, भण्डरा में पी.सी.सी. सड़क				16.09.2021	
19.	अखिलेश्वर धाम तालाब में एस.एस.रेलिंग/कटघरा				11.09.2021	
20.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत अखिलेश्वर धाम में कियोस्क				11.09.2021	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	योजना	कोष आवंटित (31.03.21 तक)	वितरण वर्ष	व्यय (31.03.21 तक)	पूर्णता निर्धारित तारीख	कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में
21.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत तान पहाड़ी में कियोस्क एवं एस.एस.रेलिंग/कटघरा				11.09.2021	
22.	लोहरदगा जिला के अन्तर्गत तान पहाड़ी में टॉयटेल ब्लॉक				14.09.2021	
<b>कुल</b>		<b>10351.28</b>		<b>2901.36</b>		

परिशिष्ट 4.1  
बकाया डी. सी. विपत्र  
(संदर्भ: कंडिका 4.6)

( करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	अवधि	विलम्ब से जमा किये गये डी.सी विपत्र		विलम्ब (माह में)
			संख्या	राशि	
1	राँची	2008-09 से 2016-17	155	62.44	01 से 121
2	पूर्वी सिंहभूम	2004-05 से 2017-18	05	1.37	08 से 67
3	बोकारो	2008-09	04	1.87	33 से 51
4	हजारीबाग	2004-05 से 2008-09	08	2.38	11 से 127
5	लोहरदगा	2003-04 से 2011-12	03	0.09	58 से 70
6	रामगढ़	2008-09 से 2010-11	03	2.19	11 से 53
7	चतरा	2005-06 से 2015-16	07	1.87	01 से 106
8	देवघर	2005-06 से 2016-17	22	10.77	01 से 128
9	धनबाद	2004-05 से 2008-09	07	2.53	20 से 71
10	दुमका	2003-04 से 2016-17	38	10.71	02 से 99
11	गिरीडीह	2002-03 से 2011-12	15	15.29	11 से 69
12	गढ़वा	2005-06 से 2015-16	03	0.40	34 से 40
13	जामताड़ा	2008-09 से 2011-12	04	0.25	16 से 61
14	कोडरमा	2008-09	02	3.75	19 से 31
15	लातेहार	2004-05 से 2011-12	11	1.42	01 से 110
16	पाकुड़	2005-06 से 2008-09	02	1.39	36
17	साहिबगंज	2007-08 से 2015-16	07	3.04	03 से 49
18	सिमडेगा	2005-06 से 2015-16	04	1.74	20 से 94
19	चाईबासा	2004-05 से 2007-08	05	0.62	11 से 85
20	सराईकेला	2006-07 से 2015-16	11	2.40	19 से 121
<b>कुल</b>			<b>316</b>	<b>126.52</b>	

**परिशिष्ट 4.2**  
**नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की**  
**धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची**  
**(संदर्भ: कंडिका 4.15)**

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूंटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूंटी	2016-17
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ एप्लीकेशन (जेप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं इ- गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
62	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	क्रान्ती सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
69	वन	केम्पा	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
76	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

**परिशिष्ट 5.1**  
**2020-21 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची**  
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	सा.क्षे. उपक्रम का नाम	पंजीकरण/निगमन की तारीख	लेखा तैयार किया गया	लेखापरीक्षा पूरी की गई
<b>उर्जा (कार्यात्मक)</b>				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.वी.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2018-19
2	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल)	23.10.2013	2018-19	2018-19
3	झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जे.यू.यू.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2018-19
<b>उर्जा (गैर-कार्यात्मक)</b>				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (गैर-कार्य) (जे.सी.एल.)	18.06.2009	2019-20	2018-19
5	पतरातु उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (पी.ई.एल)	26.10.2012	2019-20	2018-19
6	कर्णपुरा उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (के.ई.एल)	19.09.2008	2019-20	2018-19
<b>गैर - उर्जा (कार्यात्मक)</b>				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2020-21	2019-20
2	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी	10.01.2003	2019-20	2018-19
3	झारखण्ड इंडिस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.12.2004	2019-20	2018-19
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2018-19	2018-19
5	झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2018-19	2018-19
6	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2018-19	2018-19
7	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2018-19	2018-19
8	झारखण्ड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	06.07.2018	2019-20	2019-20
9	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2018-19	2018-19
10	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मेनुफेक्चरिंग लिमिटेड	17.11.2016	2018-19	2018-19

**परिशिष्ट 5.2**  
तीन वर्ष से अधिक के लेखों/पहले लेखा के अप्राप्त/अदेय के बकाया के साथ कार्यात्मक सा.क्षे. उ.  
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम		नवीनतम पुर्ण लेखा की अवधि
	<b>सरकारी कम्पनी</b>		
	<b>उर्जा</b>		
1	झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2014-15
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2014-15
	<b>गैर-उर्जा</b>		
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2015-16
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2015-16
6	झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना खरीद विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2016-17
8	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2015-16
9	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2017-18
10	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड*	18.06.2010	गठन के समय से लम्बित
11	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड*	30.09.2016	
12	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड*	28.01.2017	
13	अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार प्रयोगशाला*	26.12.2018	
14	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2017-18
15	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	20.09.2016	2017-18

\* पी.एस.ई., जिन्होंने अपने पहला लेखा/जमा/अंतिम रूप नहीं दिया है।

**परिशिष्ट 5.3**  
**राज्य सरकार निवेश के निवल वर्तमान मूल्य**  
**(संदर्भ : कंडिका 5.15)**

( करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त/ ऋण चुक एवं पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधि की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय	आर ओ आर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii= {vii*(100+vi)/100}	ix= {vii*vi}/100}	x	xi= x×100/viii
अबतक इक्विटी में निवेश 2016-17		4313.47								
2017-18	5651.40	50	0	50	6.98	5701.40	6099.35	397.96	-571.74	-9.37
2018-19	6099.35	31.33	0	31.33	7.98	6130.68	6619.91	489.23	-945.52	-14.28
2019-20	6619.91	0	0	0	6.34	6619.91	7039.61	419.70	-1336.36	-18.98
2020-21	7039.62	626.00	0	626.00	6.13	7039.61	8135.52	469.90	-1345.89	-16.54
<b>कुल</b>		<b>5020.80</b>		<b>707.33</b>						

स्रोत: 31 अक्टूबर, 2021 तक एस.पी.एस.ई के अद्यतन अंतिम वार्षिक लेखा



## प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि – औसत ब्याज दर
कॉन्टम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ
– विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्राहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र